

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 245 / 2016-17

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

| तिथि    | आदेश फलक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अभ्युक्ति                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.11.22 | <p><b>Covid-19</b> के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि संबंधित को नोटिस निर्गत कर पुनः अभिलेख का संधारण करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><u>08/11/22</u><br>अंचल अधिकारी,<br>छत्तरपुर। |
| 8.12.22 | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म ..... ) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:-</p> <p>मौजा <u>कुमरपुर</u> थाना नं० <u>312</u> खाता सं० <u>42</u> प्लॉट सं० <u>474</u> रकबा <u>2.40</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म ..... अनावाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं० <u>1</u> के पृष्ठ सं० <u>92</u> पर जमाबंदी रैयत <u>यमुना सिंह प्रियारामप्रसाद सिंह</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की रूजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> |                                                                                                                                      |

अतएव, संबंधित जमाबदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
छत्तरपुर।

24.12.22 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में 24 नुम्बर 057, 4 फी 0 6, नं 28  
द्वारा मिर्गीर बन्दोबस्त वाद सं०- 423/2001-02, लगान 246  
वर्ष-2001-02, 2004-05, 2015-16, 2021-23 समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.23 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी,  
छत्तरपुर।

7.1.23 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा हुमना मौजा नं० 319 खाता सं० 42 प्लॉट सं० 434 रकबा 2.400 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरुआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम प्राधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर से बन्दोबस्त वाद सं० 423/2001-02 से प्राप्त है। अंचल में संधारित बन्दोबस्त पंजी से मिलान करने पर उक्त वाद सही पाया गया। बन्दोबस्तधारी / बन्दोबस्तधारी के वंशजों का उक्त भूमि पर दखल कब्जा है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई करना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
अंचल अधिकारी,  
छत्तरपुर।

  
अंचल अधिकारी,  
छत्तरपुर।



संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला  
चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू. हजरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

| जमाबंदीदार का नाम             | मौजा   | धाना<br>नं. | खाता<br>नं. | खेसरा<br>नं. | रकबा   | खतियानी<br>प्रविष्टि | किस्म जमीन |
|-------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------|----------------------|------------|
| ममूना सिंह को.                | हुलसरा | 0317        | 42          | 474-         | 0.1720 | अंग गाँव             | -          |
| कामना सिंह ननुविण             |        |             |             | 278-         | 0.98   |                      |            |
| सिंह ब्रज किशोर सिंह पिता राज |        |             |             | 371-         | 0.11   |                      |            |
| प्रभापति सिंह                 |        |             |             | 426-         | 0.47   |                      |            |
|                               |        |             |             | 435-         | 0.38   |                      |            |
|                               |        |             |             | 408-         | 0.07   |                      |            |
|                               |        |             |             | 506-         | 0.23   |                      |            |
|                               |        |             |             |              | 2.4141 |                      |            |

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- परती खेत

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- वर्ष 2001-02 से

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले

कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों

के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार

तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में

संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- अनुमात्र पदाधिकारी

हरा लक्ष्मी सिंह 427/2001-02

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी

के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी

:- N/A

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार

(क) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष

(वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :- वर्ष 1927 से  
2001-02

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा

में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :- N/A

PSI

PSI

PSI

अवैध जमाबंदी की जाँच किया राजस्व अभिलेख से की गई है :-  
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा मासिक रिटर्न से

(ख) जंगल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) मासिक-वारिज / भू-उत्पादन / नामांतरण पंजी से :-

अवैध जमाबंदी  
में मौजूद बंदोबस्ती, चामु मां  
1. स्व स्वामी

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) तथा दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नहीं

11. तथा दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद :- तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-  
प्रतिवेदन भूमि मांका-डुलसुमा-पट्टा-42, ब्लॉक-474-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

(14)

राजस्व उप-निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, जहाँ पाया कि उक्त जमाबंदी अवैध प्रमाण नहीं होता है।

अचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा, अपर समाहर्ता, छत्तरपुर। पलामू।



**संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।**

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- मनुना सिंह कौंर का रामप्रसाद सिंह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ..... पृष्ठ सं: 92/2 पर कायम

| गौजा        | धाना नं.    | खाता सं.  | खेसरा सं.       | रकबा          |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| <u>इमरम</u> | <u>0317</u> | <u>42</u> | <u>474 अर्क</u> | <u>2.40 अ</u> |
|             |             |           |                 |               |

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- वर्ष 2001-02 से
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- शेख मजहरा मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- मनुना सिंह कौंर का रामप्रसाद सिंह
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- N.A.

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार बन्दोबस्ताना सं 042/2001-02  
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी  
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

| क्र. सं.  | लगान रसीद सं.     | रसीद निर्गत तिथि  | वसूली वर्ष     |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>1</u>  | <u>059461</u>     | <u>08-03-2016</u> | <u>2015-16</u> |
| <u>11</u> | <u>0611825080</u> | <u>12-03-2022</u> | <u>2022-23</u> |
|           |                   |                   |                |

PSJ

PSJ

PSJ

**कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।**

आद अभिलेख सं० 245 / 20<sup>15-17</sup> (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

बनाम यमुना सिंह  
सूचना  
पिता-रामप्रसाद सिंह

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा हमसुआ थाना नं० 317  
खाता सं० 42 खेसरा नं० 474 रकबा 246 से संबंधित आपके नाम से  
ह० नं० V के पंजी-II भाग 1 के पृष्ठ 92 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम  
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध  
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे  
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व  
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल  
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ  
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको  
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर  
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा  
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

24-12-2022  
यमुना सिंह  
मो० 8102372130

